

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 04 / 2020

बउनवान

जमनालाल पुत्र कन्हैयालाल जाति—माली निवासी—पाली  
तहसील—मोंगरोल, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मोंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—1. श्री नरेन्द्रसिंह हाडा, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 31.08.2020

1— अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 31.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—पाली, तहसील—मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 69, 70 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गै.मु.खाल अतिक्रमी मानकर 480/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर, पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है ना ही स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य ली गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2018 निरस्त फरमाया जावें।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का



कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अपीलांट ने कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है। किन्तु पटवारी हल्का ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को पश्चात्कर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्कर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्कर्ती नहीं माना जा सकता। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कब्जा नहीं है। अपीलांट गरीब काश्तकार है तथा उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्कर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 123/14 निर्णय दिनांक 02.03.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु. खाल है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्कर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर पूर्व में मिसल नम्बर 123/14 निर्णय दिनांक 02.03.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्कर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 169/18 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)  
जिला कलक्टर, बारां